न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 17/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.जयराम पुत्र रामधन मीना निवासी पाई का गुवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जयराम पुत्र रामधन मीना द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को पेश किया गया जिसमें अतिक्रमी भूमि को रेगुलाईज करने का निवेदन किया गया तथा अप्रार्थी को साक्ष्य सबूत के लिए आज तक का समय दिया गया। आज अप्रार्थी अनुपस्थित रहा अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमित भूमि (गैर मु0 पहाड़) प्रतिबंनिधत श्रेणी की है इसलिए इस प्रकार की भूमि का रेगुलाईज नहीं किया जा सकता है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का बीघोता के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाजरा बोकर कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:– अतिक्रमी जयराम पुत्र रामधन मीना निवासी पाई का गुवाडा को आराजी ख0न0 01 रकबा 0.50 हे0 किस्म गैर मु0 पहाड सिवायचक वाके ग्राम बीघोता से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान **01** की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी एवं फसल नीलामी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर एवं फसल कब्जे राज को नीलामी कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 16 पर सि.न. 50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार